...य सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

...करण संख्या:– 58/2022
...ायर दिनांक:– 03.06.2022
निर्णय दिनांक:– 23.06.2022

उनवान

1 श्री सोहनलाल पिता देवा तेली निवासी भूपालसागर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती रूपीबाई पत्नी नोला भील निवासी भूपालसागर।
2 श्री छोगालाल पिता देवा भील निवासी भूपालसागर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं. 01 ने उपस्थित आकर पत्थरगढी में कोई आपत्ति नहीं बताई। अप्रार्थी सं. 02 बाद सूचना अनुपस्थित होने से कार्यवाही एकतरफा की जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भूपालसागर पटवार हल्का **भूपालसागर** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 2946/953 रकबा 0.16 है आ0सं0 2948/958 रकबा 0.08 है. आ0सं0 2950/959 रकबा 0.03 है. आ0सं0 2952/697 रकबा 0.08 है. आ.सं. 2954/968 रकबा 0.18 है. आ.सं. 956 रकबा 0.02 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **23.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.27 12:27:28 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)